संख्या-1049/चौवालिस-1/85

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के,
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1. लखनऊः दिनांकः 28 जून, 1985

विषयः– केन्द्र सरकार की क्रय एवं मूल्य अधिमान नीति का राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी०एल० 001/83-23-1/83-बी०पी०ई०/एम०एम० दिनांक 20 अप्रैल, 1983 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार ने अपने पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी०एल008/80-23-1/80-बी०पी०ई०/एम०एम०, दिनांक 15-10-1980 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–-23/1/81-बी०पी०ई०/एम०एम०, दिनांक 17-6-1981 (सुगम सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार की क्रय एवं मूल्य अधिमान की नीति का विस्तार राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्यरत उपक्रमों के सम्बन्ध में भी करने का निर्णय लिया है। यद्यपि यह सुविधा आवश्यक रुप से आदान–प्रदान के आधार पर प्रदान नहीं की गई है, तथापि यह अनुरोध अवश्य किया गया है कि राज्य सरकार एवं उनके अधीन कार्यरत उपक्रम भी इसी प्रकार की वरीयता केन्द्र सरकार के उपक्रमों को प्रदान करें।

2- अतः भारत सरकार के उपर्युक्त आदेशों द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाते हुए तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृपया इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

भवदीय,
[रमेश चन्द्र त्रिपाठी]
सचिव।

संख्या 1049 (1)/चौवालिस-1/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) शासन के समस्त सम्बन्धित सचिव/विशेष सचिव।
(2) उपक्रमों/निगमों सें सम्बन्धित सचिवालय के समस्त प्रशासनिक अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय पब्लिक इन्टरप्राइजेज भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, ब्लाक-14, नई दिल्ली।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
[आर०के० सिंह]
विशेष सचिव।